आरबीई सं. 76 /2014

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी) 2014 क्यूआर 1-3 नई दिल्ली, दिनांक 16.07.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली में तैनात रेल कर्मियों द्वारा तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति।

रेल कोच फैक्टरी/रायबरेली में तैनात रेल कर्मचारियों को दिनांक 11.09.2009 के पत्र सं. ई(जी)2009/क्यूआर1-9 के तहत 11.09.2014 तक पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए सामान्य किराए पर तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे आवास अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी।

2. रेल कर्मचारियों को 11.09.2014 के बाद रेलवे आवास पुन: अपने पास रखने की अनुमति देने के मामले पर बोर्ड द्वार विचार किया गया है। रेलवे आवास आबंटित करने/अपने पास रखने और एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के लिए किराया प्रभारित करने से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में छूट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने छूट अवधि को एक वर्ष और अर्थात् 10.09.2015 तक बढ़ाने का विनिश्चय किया है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।

(एस. के पांडा)
उप निदेशक, स्थापना (सा.)

सं. ई(जी) 2014 क्यूआर 1-3 नई दिल्ली, दिनांक 16.07.2014

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. संयुक्त निदेशक (वित्त), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं 224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

RBE NO.76/2014

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

NO.E (G) 2014 QR1-3 **New Delhi, Date:16/07/2014**

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units,
(As per standard list).

Sub: Permission to retain quarter at previous place of posting by the Railway personnel on their posting to RCF/Raebareli.

Railway employees on their posting to RCF/Raebareli were allowed to retain Railway quarter at their previous stations for a period of five (05) years on normal rent up to 11.09.2014 vide letter No. E(G) 2009/QR 1-9 dated 11-09-2009.

2. The issue of allowing further retention of quarter to the Railway officials beyond 11-09-2014 has been considered by the Board. The Board, in exercise of its power to relax the existing provisions regarding allotment/retention of Railway quarter and the rent charged there for, for a class of people, has decided to extend the relaxation period for another one year i.e.. up to 10-09-2015.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.

(S.K.PANDA)
Deputy Director Estt.(Gen.)

NO:E(G) 2014 QR 1-3 **New Delhi, Date:16/07/2014**

1.FA&CAO, All Indian Railways and Production Units.
2.Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (copy with 46 spares).

For Financial Commissioner/Railways.

Contd. in Page 2/-